यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** के माह **नवम्बर 2019 से जनवरी 2021** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विकास कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.02.2021 से 22.02.2021 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** के लेखा अभिलेखों की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष गुप्ता, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 06.11.2019 से 15.11.2019 तक निष्पादित की गई थी, जिसमे माह 04/2015 से माह 10/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न पेयजल कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

3. बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिकअवशेष**		**मुख्य लेखाशीर्ष**	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**	**टिप्पणी**
	स्थापना	**गैर स्थापना**		**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**			
2017-18	**15.717**	**161.39**	**10200/2003**	**200.23**	**216.52**	**578.08**	**444.12**	**- 0.57**	**295.35**	
2018-19	**- 0.57**	**295.35**		**258.94**	**242.50**	**381.29**	**309.16**	**15.87**	**367.48**	
2019-20	**15.87**	**367.48**		**282.00**	**288.57**	**57.58**	**118.98**	**9.30**	**306.08**	
2020-21 (01/2021 तक)	**9.30**	**306.08**		**155.86**	**136.11**	**453.52**	**337.78**	**29.01**	**421.82**	

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

मुख्य अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गढ़वाल

⬇

अधीक्षण अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी

⬇

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **जनवरी 2021** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा _____ तक निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी – लागू नहीं

4. फार्म 51:

भाग प्रथम - लागू नहीं

भाग द्वितीय - लागू नहीं

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम –
(ख) सामग्री क्रय -
(ग) नगद परिशोधन - लागू नहीं
(घ) निक्षेप -
(ङ) भण्डार -

भाग II (ब)

प्रस्तर-1 विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹ 240.45 लाख धनराशि व्ययित करने के उपरांत भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के साथ-साथ ₹ 118.53 लाख के परिहार्य व्यय की स्थिति उत्पन्न होना।

जनपद टिहरी के प्रतापनगर विकासखंड के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय लम्बगाँव के कैंपस में बीएड संकाय भवन के निर्माण का कार्य शासनादेश संख्या-2252/1/xxiv (7) 28(2)/2010 दिनांक-29.03.2012 के द्वारा ₹ 241.44 लाख धनराशि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की गयी। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष इकाई को चार चरणों में ₹ 240.45 लाख की धनराशि ग्राहक विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि उक्त बी एड संकाय भवन के निर्माण हेतु इकाई स्तर पर भूतल के निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए न्यूनतम निविदादाता से अनुबंध संख्या-04/अ अ /2012-13 जिसकी अनुबंधित लागत ₹ 61.05 लाख एवं कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथियाँ क्रमशः 18.01.2013 एवं 17.07.2013 थीं, गठित किया गया परंतु उक्त बीएड संकाय भवन के निर्माणस्थल हेतु प्रस्तावित स्थल में परिवर्तन के कारण निर्माण कार्य विलंबित हुआ तथा राजकीय महाविद्यालय प्राधिकारियों के द्वारा नया कार्यस्थल निर्धारित किए जाने के उपरांत नए प्रस्तावित कार्य स्थल पर भी आस-पास के भूस्वामियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण निर्माण कार्य विलंबित हुआ। जिसके परिणामस्वरूप संबन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त भवन के भूतल का निर्माण कार्य ₹ 45.43 लाख की धनराशि प्राप्त करते हुए अपूर्ण ही छोड़ दिया गया। तत्पश्चात इकाई स्तर पर उक्त संकाय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए न्यूनतम निविदादाता से अनुबंध संख्या-06/अ अ /2017-18 जिसकी अनुबंधित लागत ₹ 71.60 लाख एवं कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथियाँ क्रमशः 04.10.2017 एवं 03.10.2018 थीं, गठित किया गया परंतु संबन्धित ठेकेदार द्वारा भी निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया एवं नवंबर-2019 संबन्धित ठेकेदार की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त संकाय भवन के प्रथम तल एवं द्वितीय तल का निर्माण कार्य उक्त अनुबंध के सापेक्ष ₹ 64.80 लाख की धनराशि भुगतान किए जाने के उपरांत भी संप्रेक्षा तिथि (फरवरी-2021) तक अपूर्ण ही पड़ा है।

इस प्रकार संप्रेक्षा तिथि (फरवरी-2021) तक उक्त निर्माण कार्य पर **₹ 240.45 लाख** की धनराशि (`231.22 लाख व्ययित एवं ₹ 9.23 लाख की देनदारी अवशेष) व्यय की जा चुकी थी। जबकि उक्त राजकीय महाविद्यालय लम्बगाँव के बीएड संकाय के भवन (भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल) का निर्माण कार्य अपूर्ण ही पड़ा था।

अग्रेतर, संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में आठ वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के परिणामस्वरूप श्रम एवं सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इकाई स्तर पर बीएड संकाय के भवन (भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल) का निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन ₹ 358.98 लाख (पूर्व में प्राप्त ₹ 240.45 लाख + बढ़ी हुई दरों के कारण अतिरिक्त वांछित धनराशि ₹ 118.53 लाख) फरवरी-2020 में शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया जिसकी स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि तक अपेक्षित थी।

संप्रेक्षा के दौरान आठ वर्ष बाद भी प्रस्तावित भूमि पर विवाद होने के परिणामस्वरूप उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य के संबंध में यह पूछे जाने पर कि जब वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 378 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी किसी भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता जिसको सक्षम सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्तगत नहीं किया गया हो तो इकाई स्तर पर उपरोक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किन परिस्थितियों में राजकीय महाविद्यालय लम्बगाँव में, विवादित भूमि जिसको ग्राहक विभाग द्वारा विधिवत अधिग्रहित नहीं किया गया था, बीएड संकाय के निर्माण का

कार्य प्रारम्भ किया गया? जिसके परिणामस्वरूप ही विगत आठ वर्षों से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत एक तरफ तो उक्त निर्माण कार्य कुल स्वीकृत धनराशि व्ययीत करने के उपरांत भी अपूर्ण पड़ा है वहीं दूसरी तरफ श्रम एवं सामाग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि ₹ 118.53 लाख के परिहार्य व्यय की स्थिति उत्पन्न हुई?

इकाई द्वारा उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य के संबंध में अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि अनुबंध संख्या-04/अ अ /2012-13 के तहत निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि पर तीन वर्ष तक भूमि विवाद चलने के कारण तथा अनुबंध संख्या-06/अ अ /2017-18 के तहत संबन्धित ठेकेदार की वर्ष 2019 में मृत्यु होने के कारण उक्त निर्माण कार्य वर्तमान तक पूर्ण नहीं किया जा सका तथा वर्तमान में श्रम एवं सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित आगणन ₹ 358.98 लाख (पूर्व में प्राप्त ₹ 240.45 लाख + बढ़ी हुई दरों के कारण अतिरिक्त वांछित धनराशि ₹ 118.53 लाख) फरवरी-2020 में शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया जिसकी स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि तक अपेक्षित थी। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर शिथिलता बरतते हुए उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 378 के प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए प्रस्तावित निर्माण स्थल को बिना विधिवत हस्तगत किए ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के उपरांत विवाद उत्पन्न हुआ।

अतः विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹ 240.45 लाख धनराशि व्ययित करने के उपरांत भी उक्त निर्माण कार्य आठ वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण रहने के साथ-साथ ₹ 118.53 लाख के परिहार्य व्यय (Avoidable expenditure) की स्थिति उत्पन्न होने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर-2 : वन भूमि का अधिग्रहण नहीं होने से ₹ 40.17 लाख का अवरुद्ध रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर संख्या 378 के अनुसार भूमि की अनुपलब्धता होने तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी के माह 11/2019 से माह 01/2021 तक के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि शासनादेश संख्या 252/XXXV-4/2018-2/152(पे.)/2018 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा जनपद टिहरी की विधानसभा क्षेत्र टिहरी क्षेत्र की घोषणा संख्या 729/2017 – कोशियार ताल में पंपिंग योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु धनराशि ₹ 82.29 लाख की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेशानुसार जिला अधिकारी टिहरी द्वारा योजना की प्रत्येक तीन माह की प्रगति आख्या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वीकृत DPR में Provision for Civil Land Acquisition (भूमि अधिग्रहण) के अंतर्गत 2.4625 हेक्टेयर भूमि के लिए ₹ 10.44 लाख एवं Provision for Forest Land Acquisition (वन भूमि अधिग्रहण) के अंतर्गत 2.34 हेक्टेयर भूमि के लिए ₹ 29.73 लाख निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार भूमि अधिग्रहण के लिए कुल धनराशि ₹ 40.17 लाख रखे गए थे। लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक उक्त भूमि का विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था तथा ₹ 40.17 लाख को बिना व्यय किए हुये ही बैंक खाते में अवरुद्ध रखा हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि योजना के प्रारंभिक प्राक्कलन में वन भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 40.17 लाख की धनराशि का प्रावधान रखा गया था। वन भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई गतिमान है। विभाग का उत्तर ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर - 3 : ठेकेदारों के देयकों से धनराशि ₹ 0.80 लाख की रॉयल्टी की कटौती न किया जाना।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, पर प्रतिस्थापित रॉयल्टी की दर @ ₹ 7/- प्रति कुंतल अथवा @ ₹ 154/- प्रति घन मीटर निर्धारित है।

शासनादेश के अनुसार ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए अथवा ठेकेदार द्वारा Form J/11 या Vendor से खरीदे हुये Materials का Invoice कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल निगम, नई टिहरी के चयनित माह जनवरी 2021 के बिलों/वाउचरों (तालिकानुसार) की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय द्वारा ठेकेदारो के कुल 14 देयकों से कुल धनराशि ₹ 80553/- की रॉयल्टी की कम कटौती करके भुगतान किया गया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

क्र. सं.	CDO संख्या	दिनांक	Running Bill की धनराशि (₹ में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	रॉयल्टी Statement के अनुसार Materials की मात्रा (m3 में)	रॉयल्टी की धनराशि (₹ में) @₹154/- प्रति m^3
1	7014	29.1.21	1222486.00	M/s Vinod Singh	54/EE/2020-21	131.59	20264.86
2	7015	29.1.21	1102495.00	M/s Vikram Unal	57/EE/2020-21	41.50	6391.00
3	7016	29.1.21	1101761.00	M/s Vinod Singh	37/EE/2020-21	52.56	8094.24
4	7018	29.1.21	485474.00	M/s Rajendra Prasad	25/EE/2020-21	14.74	2269.96
5	7019	29.1.21	235380.00	M/s Pooran Chand Ramola	10/EE/2020-21	43.46	6692.84
6	7020	29.1.21	1503546.00	M/s Balvir Singh Rawat	53/EE/2020-21	57.50	8855.00
7	7021	29.1.21	527340.00	M/s Ganga Prasad	59/EE/2020-	17.63	2715.02

				Semalty	21		
8	7022	29.1.21	261579.00	M/s Jyoti Prasad Prasad Pant	36/EE/2020-21	13.67	2105.18
9	7023	29.1.21	577420.00	M/s Mahajan Singh Panwar	38/EE/2020-21	42.97	6617.38
10	7024	29.1.21	561493.00	M/s Umed Singh Panwar	46/EE/2020-21	13.38	2060.52
11	7025	29.1.21	526206.00	M/s Vijay Singh	12/EE/2020-21	12.48	1921.92
12	7026	29.1.21	339591.00	M/s Bhopal Singh Lingwal	06/EE/2020-21	14.32	2205.28
13	7027	29.1.21	586676.00	M/s Rakesh Singh	18/EE/2020-21	8.64	1330.56
14	7032	29.1.21	627520.00	M/s Vijay Pal Singh	24/EE/2020-21	58.63	9029.02
					योग	**523.07**	**80552.78**

उपरोक्त वाउचरों/बिलों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय द्वारा देयकों से न तो से Royalty के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 80553/- की कटौती की गयी थी तथा न ही लेखापरीक्षा को ठेकेदार से प्राप्त Form J/11 या Vendor से खरीदे हुये Materials का Invoice प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप शासन को राजस्व की हानि हुयी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लायी गयी खनिज की रॉयल्टी उनके अंतिम देयकों से काट कर राजस्व खाते में जमा कर ली जाएगी। विभाग का उत्तर ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-1 : धनराशि ₹ 22.50 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित न किया जाना।</u>

शासनादेश संख्या – उन्तीस(2)/19-2(290पे.)/2018 दिनांक 26 जून 2019 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड जाखणीधार के केलान पेयजल योजना के लिए ₹ 22.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की गयी थी। उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या (ii) के अनुसार स्वीकृत की गई धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम, नई टिहरी के माह 11/2019 से माह 01/2021 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यालय द्वारा श्री रणवीर सिंह राणा, टिहरी गढ़वाल के साथ अनुबंध किया गया था (अनुबंध संख्या – 01/EE/2019-20)। अनुबंध की लागत ₹ 1798050/- तथा कार्य प्रारंभ करने की तिथि 26.11.2019 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 25.05.2020 निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि कार्य को पूर्ण करने के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक भी उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा। विभाग का उत्तर ही लेखापरीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**		
		भाग –II (अ)	**भाग –II (ब)**
1	65/2004-05	शून्य	1,2,3,4,5,6
2	06/2009-10	1,2	01
3	06/2011-12	1,2,3,4	**शून्य**
4	25/2013-14	शून्य	1,2
5	144/2015-16	01	शून्य
6	156/2019-20	शून्य	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

2. सतत् अनियमितताएँ: **शून्य**

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**इं रकम पाल**	**अधिशासी अभियंता**	**27.04.2018 से 02.01.2020 तक**
ii	**इं अनुपम रतन**	**परियोजना प्रबन्धक**	**03.01.2020 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, AMG-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)